

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-364/2019

बासुदेव कुमार और एक अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... विपक्षीगण

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री पी०सी० सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : एस०सी०-III, अधिवक्ता के ए०सी०

**आदेश सं० 03**

**दिनांक:02.08.2019**

वर्तमान याचिका, डब्ल्यू०पी० (सी०) सं० 2998/2007 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे गैर-अभियोजन के वजह से 8 अगस्त, 2017 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान याचिका में बताए गए कारणों के मद्देनजर, डब्ल्यू०पी० (सी०) सं० 2998/2007 को अपनी मूल फाइल और स्टेज में पुनःस्थापित किया गया है, बशर्ते 2000/- रुपये की कॉस्ट अधिवक्ता क्लर्क एसोसिएशन, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पक्ष में आज से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाए।

यह याचिका, तदनुसार निपटाया गया है।

(राजेश शंकर, न्याया0)